



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-325

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 293261 दिनांक 18/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sudhir Sharma S/o S/O,Subodh Chandra Sharma	गुलमोहर डवलपर्स जरिये साझेदार पुत्र श्री रमनदीप सिंह कपुर	32	98.00 SQ. METER	Private	BANK COLONY VISTAR-I	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना बैंक कॉलोनी विस्तार-प्रथम के भूखण्ड संख्या 32 क्षेत्रफल 98.00 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 19.07.2019 को गुलमोहर डवलपर्स जरिये साझेदार पुत्र श्री रमनदीप सिंह कपुर के नाम से जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2021 को गुलमोहर डवलपर्स जरिये साझेदार पुत्र श्री रमनदीप सिंह कपुर के द्वारा श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री चौखे लाल के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

27.01.2025 को श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री चौखे लाल के द्वारा श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री श्योनाथ शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2026 को श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री श्योनाथ शर्मा के द्वारा श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री सुबोध चन्द्र शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sudhir Sharma S/o S/O, Subodh Chandra Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।